

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 57/2016

पंचायत समिति जवाजा जिला अजमेर जिला अजमेर जरिये श्री दिनेश जोधावत
ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत बलाड़ पंचायत समिति जवाजा (अजमेर)
.....निगरानीकर्ता/प्रार्थी

बनाम

1. श्री सेमुअल सुन्दर सिंह पुत्र श्री हिलवर्ड सोलेमन निवासी ग्राम बलाड़ ग्राम पंचायत बलाड़, पंचायत समिति जवाजा जिला अजमेर।
2. श्री भीमसिंह रावत, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बलाड़, पंचायत समिति जवाजा, जिला अजमेर।
3. श्री सरदारमल राव तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत बलाड़ पंचायत समिति जवाजा, जिला अजमेर हाल पदस्थापित ग्राम पंचायत नून्दरी-मालदेव पंचायत समिति जवाजा जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान
पंचायत राज अधिनियम 1994

उपस्थित :- श्री राजीव सक्सेना, वकील प्रार्थी की ओर से।

:- आदेश :-

दिनांक 23.03.2017

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से हैं कि श्री सेमुअल सुन्दर सिंह पुत्र श्री हिलवर्ड सोलेमन निवासी ग्राम बलाड़ पंचायत समिति जवाजा द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बलाड़ के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि ग्राम पंचायत बलाड़ के खसरा नम्बर 457, 458 आवादी भूमि में प्रार्थी का पूर्व में निर्मित मकान बना हुआ है एवं इस भूमि पर प्रार्थी का पूर्वजों से ही कब्जा चला आ रहा है अतः आवादी भूमि का पट्टा दिलाया जावे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही पश्चात् अपने प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.08.2009 के अनुसरण में आवादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 2 दिनांक 20.08.2009 जारी कर दिया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी आक्षेपीय विक्रय विलेख को विभिन्न कारणों से विधि विरुद्ध बताते हुए आक्षेपीय पट्टे को निरस्त करने हेतु यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। निगरानी पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये वकील उपस्थित हुए। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। वरवक्त बहस अप्रार्थी संख्या 1 के अनुपस्थित रहने पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी



अपर कलक्टर
अजमेर


किया गया आक्षेपीय पट्टा न्याय, नियम एवं रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा पंचायत अधिनियम के विरुद्ध अपने परिचित अप्रार्थी संख्या 1 पक्ष में विवादित भूमि का पट्टा जारी किया है। विवादित भूमि ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र से बाहर स्थित है जिसकी शिकायत होने पर पंचायत समिति जवाजा की जांच रिपोर्ट दिनांक 30.06.2014 की अनुपालना में विकास अधिकारी पंचायत समिति जवाजा द्वारा आक्षेपीय पट्टे को निरस्त करवाने हेतु निर्देशित किया गया। वकील प्रार्थी का यह भी कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व पटवारी हल्का से स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं की, इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 142, 143 एवं 145 के प्रावधानों की पालना नहीं कर विधि के प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय पट्टा नियम 157(1) के प्रारूप 23 के अनुसार जारी किया गया है जो कि विधि सम्मत नहीं हैं क्योंकि उक्त पट्टे पर नीलाम/विक्रय के अनुसरण में पूर्वाक्त क्रेता द्वारा 20,250 रुपये जमा होने का हवाला दिया गया है जबकि नियमानुसार आक्षेपीय पट्टा प्रारूप 23 में नियम 167(1) के अनुसार जारी होना आवश्यक था। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अप्रार्थी संख्या 1 को अनियमित लाभ पहुँचाना गया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा जारी आक्षेपीय पट्टा निरस्त किया जावे।

हमने वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आक्षेपीय पट्टे के संबंध में पंचायत समिति जवाजा द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 30.06.2014 अनुसार कई अनियमितताएं पाई गई हैं। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि ग्राम पंचायत की सीमा से बाहर स्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा विवादित भूमि बाबत पटवारी हल्का से स्पष्ट रूप से रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 142, 143 व 145 में दिये गये प्रावधानों की पालना भी नहीं की गई है। नियमानुसार आक्षेपीय पट्टा प्रारूप 23 में नियम 167(1) के अनुसार जारी किया जाना चाहिये, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 157(1) के प्रारूप 23 के अनुसार कार्यवाही की गई है जो विधि विरुद्ध है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी आवादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 2 दिनांक 20.08.2009 निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.03.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।




(किशोर कुमार)
(विशेष न्यायाधीश)
अजमेर जिला न्यायालय